

### तावा नदी परियोजना का निर्माण

3086. श्री यशवन्त सिंह कुशबाहू : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तावा नदी निर्माण परियोजना का कार्य ठेकेदारों को अनुमानित दरों से लगभग 50 प्रतिशत अधिक दरों पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि तावा परियोजना के लिये 11.75 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के टेंडरों को स्वीकृत किया गया है जबकि उसकी अनुमानित लागत .989 करोड़ रुपये हैं ; इस प्रकार 18.83% की वृद्धि हुई है। टेंडरों की जांच-पड़ताल एवं स्वीकृत पूर्णतः राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

### Impact on Export of Indian Tea due to purchase of Ceylonese Tea by U. S. S. R. and U. A. R.

3087. SHRIMATI ILA PALCHOU-DHURI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Soviet Union and the U. A. R. have begun to purchase Ceylonese tea since the first week of September, 1970 ;

(b) if so, its impact on the export of Indian tea to these countries ; and

(c) the steps, if any, taken to attract these countries towards Indian Tea ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). USSR and U. A. R. normally purchase some quantity of tea from Ceylon. Purchases by these countries from India are governed by bilateral trade agreements and exports of tea from India to these countries are increasing in keeping with their over-all imports of tea.

The Director of Tea Promotion in Cairo is undertaking extensive promotional campaign to publicise Indian tea through the Indian Tea Centre located at Cairo and through a mobile tea van as well as limited media advertising, participation in exhibitions and public relations.

### दिल्ली में बलात्कार के एक मामले को पंजीकृत नहीं किया जाना

3088. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1970 को विभिन्न हिन्दी समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के एक मामले को पुलिस ने पंजीकृत नहीं किया था ;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं की पुलिस को बहुधा सूचना दी जाती है परन्तु पुलिस उन्हें पंजीकृत नहीं करती ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सरकार ने यह समाचार देख लिया है। दिल्ली पुलिस की सूचना के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 1037 दिनांक 4-11-70 को दर्ज किया गया था।